न्यायालय उप खण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 235 / 2021

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम उर्फ दीपचन्द जाति अहीर निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. कमलेश पत्नी श्री दौलतराम उर्फ दीपचन्द जाति अहीर निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री राम प्रकाश खुड़ियाल (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.12.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी संख्या 1 का सही नाम दिनेश कुमार है तथा उसके पिता का नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द है। वादी संख्या 1 का आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन कार्ड बने हुए हैं, फोटो प्रतियाँ संलग्न है, उपरोक्त समस्त दस्तावेजात में वादी संख्या 1 का नाम दिनेश कुमार है। वादी संख्या 1 के नाम चक 6 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44 / 38, मुरब्बा नम्बर 41,45 में मुश्तरका खाता में हिस्सा 324 / 5389 व हिस्सा 4741 / 5389 जमाबन्दी में दर्ज है, व इसी चक के खाता संख्या 8 / 4 मुरब्वा नम्बर 38.40 में वादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाता में हिस्सा 2442 / 4883 जमाबन्दी में दर्ज है, दोनो जमाबंदीयाँ संलग्न है। वादीया संख्या 2 के नाम चक 6 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44 / 38, मुरब्बा नम्बर 41, 45 में मुश्तरका खाता में हिस्सा 324 / 5389 जमाबन्दी में दर्ज है व इसी चक के खाता संख्या 8 / 4 मुरब्बा नम्बर 38,40 में वादीया संख्या 2 के नाम मुश्तरका खाता में हिस्सा 2441 / 4883 जमाबन्दी में दर्ज है। जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में कर्मचारी माल की गलती से वादी संख्या 1 का नाम दिनेशचन्द पुत्र दीपचन्द दर्ज हो गया है जबकि उसका सही नाम दिनेश कुमार पुत्र दौलतराम उर्फ दीपचन्द है । वादी संख्या 1 जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दिनेश कुमार दौलतराम उर्फ दीपचन्द दर्ज करवाना चाहता है। तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8 / 4 में वादीया संख्या 2 अपने पति का नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द करवाना चाहती है क्योंकि इसी चक के खाता संख्या 44 / 38 की जमाबन्दी में वादीया संख्या 2 के पति का सही नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द है । वादी संख्या 1 के पिता दौलतराम उर्फ दीपचन्द के दिनेशचन्द नाम का और कोई पुत्र नही है वल्कि वादी संख्या 1 का नाम ही कर्मचारी माल की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड में दिनेशचन्द दर्ज हो गया है, जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम दिनेशचन्द दर्ज होने के कारण उसको हर काम में परेशानी हो रही है। वादी संख्या 1 ने राजस्व अभियान में प्रतिवादी से जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती करने का आग्रह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किया मगर प्रतिवादी ने इन्कार कर स्पष्ट कहा कि उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर से आदेश लाने पर ही वादी के नाम की दुरूस्ती की जा सकेगी, अतः यही विनाए मुखासमत है, अतः वादीगण को श्रीमान न्यायालय में दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीगण की कृषि भूमि व सकूनत श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, अतः दावा वादीगण काविल समायत अदालत वाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा दावा वादीगण पेश करके अर्ज है कि दावा वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 6 एफ बडा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/38, मुरब्बा नम्बर 41,45 तथा खाता संख्या 8/4 मुरब्बा नम्बर 38, 40 की जमावंदीयों व समस्त राजस्व रिकार्ड में जहां–जहां वादी संख्या 1 का नाम दिनेशचन्द पुत्र दीपचन्द दर्ज है, वहां दिनेश कुमार पुत्र दौलतराम उर्फ दीपचन्द दर्ज किया जावे व इसी चक के खाता संख्या 8/4, मुरब्बा नम्बर 38, 40 की जमाबन्दी में वादीया संख्या 2 के पति का नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द दर्ज किया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार पटवारी हलका की जांच रिपोर्ट अनुसार दिनेश चन्द व दिनेश कुमार एक ही व्यक्ति का नाम है तथा दीपचन्द का नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द होना वताया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमावंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 6 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 44/38, जमावंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 6 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 8/4 की प्रति पेश की। वादीगण द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत कोनी (5 पी वड़ी) का प्रमाण पत्र, वादी दिनेश कुमार के आधार कार्ड की की प्रति, चुनाव पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की गई। वादीया कमलेश द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, चुनाव पहचान पत्र की प्रति वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई।

वादी दिनेश कुमार द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादीया कमलेश द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 6 एफ वड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/38, मुरब्बा नम्बर 41, 45 तथा खाता संख्या 8/4 मुरब्बा नम्बर 38, 40 की जमावंदीयों में वादी संख्या 1 का नाम दिनेशचन्द पुत्र दीपचन्द के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र दौलतराम उर्फ दीपचन्द दर्ज किया जावे व इसी चक के खाता संख्या 8/4, मुरब्बा नम्बर 38, 40 की जमावन्दी में वादीया संख्या 2 कमलेश के पति का नाम दौलतराम उर्फ दीपचन्द दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23.12.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner